आदेश

यतः विभिन्न जनपदों के जिला सहायक सहकारी निर्वाचन अधिकारियों/सहायक आयुक्त एवं सहायक निबन्धकों, सहकारिता के द्वारा जनपदों की प्रारम्भिक सहकारी समितियों की प्रबन्ध कमेटी, सभापति/उपसभापति तथा अन्य सहकारी संस्थाओं में भेजे जाने वाले प्रतिनिधियों के पदों को भरने के लिए निर्वाचन की तिथियां निर्धारित किये जाने का अनुरोध किया जा रहा है, और

यतः सहकारिता के अतिरिक्त अन्य विभागों की प्रारम्भिक सहकारी समितियों की प्रबन्ध कमेटी के निर्वाचन हेतु सम्बन्धित विभाग से तिथियां निर्धारित किये जाने के अनुरोध भी प्राप्त हुए हैं, और

यतः उ0प्र0 राज्य सहकारी समिति निर्वाचन नियमावली–2014 के नियम–4 के अधीन कार्यकाल पूर्ण करने वाली प्रारम्भिक सहकारी समितियों के निर्वाचन की प्रक्रिया चार माह पूर्व कराने की व्यवस्था है, निकट भविष्य में प्रदेश में विधानसभा चुनाव होने की भी सम्भावना है। बहुत सी समितियों का कार्यकाल इस अवधि में समाप्त होने पर इन समितियों की प्रबन्धकीय व्यवस्था में अवरोध उत्पन्न हो सकता है। इसलिए आवश्यक है कि निर्वाचन कराये जाने हेतु निर्धारित निर्वाचन तिथि के आगामी चार माह में जिन समितियों की प्रबन्ध कमेटी का कार्यकाल समाप्त हो रहा है उनका भी निर्वाचन निर्धारित की जाने वाली तिथियों में ही करा लिया जाये, और

यतः उपरोक्त के दृष्टिगत आयोग को यह समाधान हो गया है कि प्रदेश की समस्त प्रकार की प्रारम्भिक सहकारी समितियों की प्रबन्ध कमेटी, सभापति/उपसभापति एवं अन्य समितियों को भेजे जाने वाले प्रतिनिधियों का निर्वाचन कराये जाने हेतु तिथियां निर्धारित किया जाना आवश्यक हो गया है।

अतः उ0प्र0 सहकारी समिति अधिनियम–1965 की धारा–29(3) तथा उ0प्र0 राज्य सहकारी समिति निर्वाचन नियमावली–2014 के नियम–7 में प्रदत्त शक्तियों का प्रयोग करते हुए उपरोक्त प्रारम्भिक सहकारी समितियों की प्रबन्ध कमेटी के सदस्यों के निर्वाचन हेतु दिनांक 15.10.2016 एवं सभापति/उपसभापति एवं अन्य संस्थाओं को भेजे जाने वाले प्रतिनिधियों के निर्वाचन हेतु दिनांक 17.10.2016 की तिथि निर्धारित करते हुए अधोलिखित विवरणानुसार निर्वाचन कार्यक्रम निर्धारित किया जाता है:–

(क) प्रारम्भिक सहकारी समितियों की प्रबन्ध कमेटी के सदस्यों के निर्वाचन हेतु निर्वाचन कार्यक्रमः–

(क)–समस्त प्रकार की प्रारम्भिक सहकारी समितियों (गन्ना समितियों को छोड़कर) की प्रबन्ध कमेटी के सदस्यों के निर्वाचन हेतु निर्वाचन कार्यक्रमः–

क0	निर्वाचन कार्यक्रम	निर्धारित तिथि	निर्धारित समय
1	अनन्तिम मतदाता सूची का प्रदर्शन,	03.10.2016	प्रातः 11:00 बजे से दोपहर 12:00 बजे तक
2	अनन्तिम मतदाता सूची पर आपत्तियां दाखिल करना	04.10.2016	प्रातः 11:00 बजे से अपरान्ह 2:00 बजे तक
3	मतदाता सूची पर प्राप्त आपत्तियों का निस्तारण,	05.10.2016	प्रातः 10:00 बजे से अपरान्ह 2:00 बजे तक
4	अंतिम मतदाता सूची का प्रदर्शन,	05.10.2016	अपरान्ह 03:00 बजे से

5	नाम निर्देशन प्रपत्र दाखिल करना,	06.10.2016	प्रातः 10:00 बजे से अपरान्ह 2:00 बजे तक
6	नाम निर्देशन प्रपत्रों का परिनिरीक्षण (स्कूटनी),	07.10.2016	प्रातः 10:00 बजे से अपरान्ह 1:00 बजे तक
7	वैध नाम निर्देशन प्रपत्रों का प्रदर्शन,	07.10.2016	अपरान्ह 03:00 बजे
8	नाम निर्देशन प्रपत्र का वापस लिया जाना,	08.10.2016	प्रातः 10:00 बजे से अपरान्ह 1:00 बजे तक
9	निर्वाचन चिन्हों का आवन्टन और अंतिम नाम निर्देशन पत्रों का प्रदर्शन,	08.10.2016	अपरान्ह 02:00 बजे से अपरान्ह 05:00 बजे तक
10	मतदान (यदि आवश्यक),	15.10.2016	प्रातः 10:00 बजे से अपरान्ह 04:00 बजे तक
11	मतगणना एवं निर्वाचन परिणाम की घोषणा।	15.10.2016	मतदान समाप्त होने के पश्चात घोषणा होने तक

(ख) समस्त प्रकार प्रारम्भिक सहकारी समितियों (गन्ना समितियों को छोड़कर) की प्रबन्ध कमेटी के सभापति/उपसभापति तथा अन्य समितियों में भेजे जाने वाले प्रतिनिधियों के निर्वाचन हेतु कार्यक्रमः—

क0	निर्वाचन कार्यक्रम	निर्धारित तिथि	निर्धारित समय
1	अनन्तिम मतदाता सूची का प्रदर्शन,	17.10.2016	प्रातः 08:30 बजे से प्रातः 09:00 बजे तक
2	अनन्तिम मतदाता सूची पर आपत्तियां दाखिल करना एवं प्राप्त करना,	17.10.2016	प्रातः 09:00 बजे से प्रातः 10:00 बजे तक
3	मतदाता सूची पर प्राप्त आपत्तियों का निस्तारण,	17.10.2016	प्रातः 10:00 बजे से प्रातः 11:00 बजे तक
4	अंतिम मतदाता सूची का प्रदर्शन,	17.10.2016	प्रातः 11:00 बजे से प्रातः 11:30 बजे तक
5	नाम निर्देशन प्रपत्र दाखिल करना,	17.10.2016	प्रातः 11:30 बजे से अपरान्ह 12:30 बजे तक
6	नाम निर्देशन प्रपत्रों का परिनिरीक्षण (स्कूटनी),	17.10.2016	अपरान्ह 12:30 बजे से अपरान्ह 01:00 बजे तक
7	वैध नाम निर्देशन प्रपत्रों का प्रदर्शन,	17.10.2016	अपरान्ह 01:30 बजे से अपरान्ह 02:00 बजे तक
8	नाम निर्देशन प्रपत्र का वापस लिया जाना,	17.10.2016	अपरान्ह 02:00 बजे से अपरान्ह 02:30 बजे तक
9	अंतिम नाम निर्देशन पत्रों का प्रदर्शन और निर्वाचन चिन्हों का आवन्टन	17.10.2016	अपरान्ह 02:30 बजे से अपरान्ह 03:00 बजे तक
10	मतदान (यदि आवश्यक),	17.10.2016	अपरान्ह 03.30 बजे से अपरान्ह 5.00 बजे तक

11	मतगणना एवं निर्वाचन परिणाम की घोषणा।	17.10.2016	मतदान समाप्त होने के पश्चात घोषणा होने तक

नोटः—उक्त निर्धारित तिथियां ऐसी समितियों के लिए प्रभावी नहीं होंगी, जिनके निर्वाचन पर मा0 उच्च न्यायालय का स्थगन आदेश प्रभावी हो अथवा जिन सहकारी समितियों के निर्वाचन हेतु निर्वाचन आयोग द्वारा अलग से तिथियां निर्धारित की गयीं हो। इसके अतिरिक्त अन्य किसी भी दशा में निर्वाचन सम्पन्न न कराये जाने पर आयोग द्वारा सम्बन्धित के विरूद्ध उ0प्र0 राज्य सहकारी समिति निर्वाचन नियमावली—2014 के अधीन अपराध मानते हुए दण्डात्मक कार्यवाही की जायेगी।

Gyadav 28/07/2

(गंगादीन यादव)
मुख्य निर्वाचन आयुक्त,

कार्यालय मुख्य निर्वाचन आयुक्त,
उ0प्र0 राज्य सहकारी समिति निर्वाचन आयोग, लखनऊ।

परिपत्र संख्या—सी: 32 /रा0स0स0नि0आ0(सह0)/लखनऊःदिनांकःजुलाई 29 ,2016

प्रतिलिपिः—अधोलिखित को सूचनार्थ एवं आवश्यक कार्यवाई हेतु प्रेषितः—

1— समस्त सचिव, प्रारम्भिक सहकारी समितियां उ0प्र0 द्वारा सम्बन्धित सहायक आयुक्त एवं सहायक निबन्धक सहकारिता/सहायक सहकारी निर्वाचन अधिकारी उ0प्र0।
2— समस्त जिला उद्यान अधिकारी, सहायक निदेशक, मत्स्य, जिला ग्रामोद्योग अधिकारी, सहायक निदेशक रेशम, उप दुग्धशाला विकास अधिकारी, महाप्रबन्धक, जिला उद्योग केन्द्र, सहायक निदेशक हथकरघा एवं वस्त्रोद्योग, अपर आवास आयुक्त/अपर निबन्धक, सहकारिता द्वारा जिला सहायक सहकारी निर्वाचन अधिकारी, सहकारिता, उ0प्र0।
3— समस्त उप आयुक्त उ0प्र0 राज्य सहकारी समिति निर्वाचन आयोग लखनऊ।
4— समस्त सहायक सहकारी निर्वाचन अधिकारी/सहायक आयुक्त एवं सहायक निबन्धक, सहकारिता, उ0प्र0, को यथानियम समायानुसार आवश्यक कार्यवाही कराने हेतु।
5— समस्त संयुक्त आयुक्त एवं संयुक्त निबन्धक, सहकारिता/मण्डलीय सहकारी निर्वाचन अधिकारी, उ0प्र0।
6— वरिष्ठ पुलिस अधीक्षक, समस्त जनपद, उ0प्र0।
7— समस्त जिला मजिस्ट्रेट/जिला सहकारी निर्वाचन अधिकारी, उ0प्र0।
8— निदेशक/निबन्धक, उद्यान एवं खाद्य प्रसंस्करण विभाग, उद्यान भवन, लखनऊ।
9— निदेशक/निबन्धक, मत्स्य विभाग, उ0प्र0, लखनऊ।
10— निदेशक, खादी एवं ग्रामोद्योग, बोर्ड, लखनऊ।
11— निदेशक, रेशम विभाग, उ0प्र0, लखनऊ।
12— आयुक्त एवं निबन्धक, दुग्ध विकास, तृतीय तल, जवाहर भवन, लखनऊ।
13— निदेशक, उद्योग विभाग, उ0प्र0, कानपुर।

14– निदेशक, हथकरघा एवं वस्त्रोद्योग, निदेशालय, उ0प्र0, जी0टी0 रोड, कानपुर।

15– आयुक्त एवं निबन्धक, उ0प्र0 आवास एवं विकास परिषद, 104, महात्मा गांधी मार्ग, लखनऊ।

16– आयुक्त एवं निबन्धक, सहकारिता, उ0प्र0 लखनऊ।

17– पुलिस महानिदेशक, उ0प्र0 को आवश्यक सुरक्षा व्यवस्था उपलब्ध कराये जाने हेतु।

18– प्रमुख सचिव, उद्यान एवं खाद्य प्रसंस्करण, उ0प्र0 शासन, लखनऊ।

19– प्रमुख सचिव, मत्स्य, उ0प्र0 शासन, लखनऊ।

20– प्रमुख सचिव, खादी एवं ग्रमोद्योग, उ0प्र0 शासन, लखनऊ।

21– प्रमुख सचिव, रेशम विकास, उ0प्र0 शासन, लखनऊ।

22– प्रमुख सचिव, दुग्ध, उ0प्र0 शासन, लखनऊ।

23– प्रमुख सचिव, उद्योग, उ0प्र0 शासन, लखनऊ।

24– प्रमुख सचिव, हथकरघा एवं वस्त्रोद्योग, उ0प्र0 शासन, लखनऊ।

25– प्रमुख सचिव, आवास एवं शहरी नियोजन, उ0प्र0 शासन, खनऊ।

26– प्रमुख सचिव, सहकारिता, उ0प्र0 शासन, लखनऊ।

27– कृषि उत्पादन आयुक्त, उ0प्र0 शासन, लखनऊ।

28– मुख्य सचिव, उ0प्र0 शासन, लखनऊ।

29– निजी सचिव, मा0 सहाकारिता मंत्री जी, उ0प्र0 शासन, लखनऊ।

30– गार्ड, प्रत्रावली।

(एस0पी0त्रिपाठी)
सचिव

<u>प्रधान कार्यालय निदेशक मत्स्य,उत्तर प्रदेश,लखनऊ।</u>

पत्रांक: 1103/सह0अनु0/2016–17, दिनांक: 05.08.2016

प्रतिलिपि निम्नलिखित को सूचनार्थ एव आवश्यक कार्यवाही हेतु प्रेषितः–

1. समस्त सचिव/अध्यक्ष, निर्वाचन हेतु अवशेष मत्स्य जीवी सहकारी समिति लि0, द्वारा सहायक निदेशक मत्स्य/मुख्य कार्यकारी अधिकारी, मत्स्य पालक विकास अभिकरण, उत्तर प्रदेश ।
2. समस्त सहायक निदेशक मत्स्य/मुख्य कार्यकारी अधिकारी, मत्स्य पालक विकास अभिकरण, उत्तर प्रदेश को इस निर्देश के साथ प्रेषित कि सहकारी निर्वाचन आयोग के निर्देशानुसार निर्वाचन योग्य समितियों का उपरोक्त कार्यक्रम के अनुसार निर्वाचन सम्पन्न करा लिया जाये, अवशेष निर्वाचन योग्य समितियों के निर्वाचन न कराये जाने की दशा में उ0प्र0 राज्य सहकारी समिति निर्वाचन नियमावली, 2014 के अधीन उत्तरदायित्व निर्धारित करते हुए दण्डनात्मक कार्यवाही की जायेगी ।
3. समस्त सहायक निर्वाचन अधिकारी /सहायक आयुक्त एव सहायक निबन्धक,सहकारिता,उ0प्र0, को यथानियम समयानुसार आवश्यक कार्यवाही कराने हेतु ।
4. समस्त उप निदेशक मत्स्य, उत्तर प्रदेश ।
5. प्रबन्ध निदेशक, उ0प्र0 मत्स्य जीवी सहकारी समिति लि0,लखनऊ।
6. सचिव, राज्य सहकारी निर्वाचन आयोग, उ0प्र0,लखनऊ।
7. बेव आफिसर, मुख्यालय को सम्बन्धि बेव साइड एवं ई–मेल पर अपलोड कराने हेतु।

संयुक्त आयुक्त एवं संयुक्त निबन्धक(सह0)
मत्स्य निदेशालय,उ0प्र0,लखनऊ।